भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phone: 0129-2292175, 2292179
Fax: 0129-2291560
E-Mail: fdo@bis.org.in
web: http://www.bis.org.in

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

दिनांक: 13 June 2018

भारतीय मानक ब्यूरो का नकली आई0 एस0 आई0 मुहर लगाकर उत्पादन करने वाले निर्माताओं पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के सहयोग से दिनांक 06 जून 2018, बुधवार को आई० एस0 आई0 मुहर के दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर छापा मारा ।

छापे के दौरान मै0 अमृत गंगा एसोसिएट्स, बसेलवा कालोनी, जिला फरीदाबाद आई0 एस0 आई0 मार्क0 का दुरूपयोग करती पाई गई । फर्म के पास आई0 एस0 आई0 मुहर और लाइसेंस सं0 9801483 लगे ब्राण्ड "एक्वा दीप" के 20 लीटर पैट जार पाए गए और फर्म आई0 एस0 आई0 मार्क0 लगे जार पेयजल से भर कर तैयार कर रही थी । उक्त फर्म के पास बोतलबन्द पेयजल पर आई0 एस0 आई0 मार्क0 लगाने का लाइसेंस नहीं था । यह फर्म आई0 एस0 आई0 मुहर का दुरूपयोग कर रही थी जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है । बन्द पेयजल के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आई0 एस0 आई0 का मुहरांकन अनिवार्य है । इस फर्म के अपराधियों के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सज़ा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना है या एक साल की कैद या दोनों हैं ।

यह पाया गया है कि कई बार नकली आई एस0 आई0 मार्क उत्पाद निर्मित होता है और आम उपभोक्ता को बेचा जाता है । इसलिए लोगों को आई0 एस0 आई0 मार्क उत्पाद खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए । आम जनता से अनुरोध किया जाता है कि आई0 एस0 आई0 मुहर के किसी भी दुरूपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) इस पते पर दें ; भारतीय मानक ब्यूरो, एस0सी0ओ0 21, सेक्टर 12, फरीदाबाद - 121007, दूरभाष - 0129-2292173, 0129-2292175.

(प्रवीन खन्ना)
वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

— Press clipping.jpg

करने वाली बात यह है कि पर 100 घंटे का रोजगार दिया जा रहा है।

नकली आईएसआई मुहर लगाकर उत्पादन करने वाले निर्माताओं पर छापा

फरीदाबाद, राकेश देव (पंजाब केसरी)। भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के सहयोग से बुधवार को आई0 एस0 आई0 मुहर के दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर छापा मारा।

छापे के दौरान मै0 अमृत गंगा एसोसिएटस बसेलवा कालोनी, जिला फरीदाबाद आई एस आई मार्क का दुरूपयोग करती पाई गई। फर्म के पास आई एस आई मुहर और लाइसेंस लगे ब्राण्डा एक्वा दीप के 20 लीटर पैट जार पाए गए और फर्म आई0 एस0 आई0 मार्क0 लगे जार पेयजल से भर कर तैयार कर रही थी। उक्त फर्म के पास बोतल बन्द 2 पेयजल पर आई एस आई मार्क लगाने का लाइसेंस नहीं था। यह फर्म आई एस आई मुहर का दुरूपयोग कर रही थी जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है। बन्द पेयजल के लिए एफ एस एस ए आई अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आई0 एस0 आई0 का मुहरांकन अनिवार्य है। इस फर्म के अपराधियों के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस तरह के अपराध की सजा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना है या एक साल की कैद या दोनों हैं।

फर्म के पास आईएसआई मुहर और लाइसेंस लगे ब्राण्ड के 20 लीटर पैट जार पाए गए

Photographs-1.jpg